230 13 बीएचईएल के विकलांग कार्यकारी अधिकारियों को दोगुनी दर पर परिवहन भत्ता; (श्री लक्ष्मीकांत विजयवर्गीय बनाम भारी उद्योग और लोक उद्यम एवं अन्य)

अधोहस्ताक्षरी को विषय उपर्युक्त विषय पर विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त के दिनांक 22.01.2012 मामला सं. 183/1028/11–12 (संदर्भ के लिए प्रतिलिपि संलग्न) का उल्लेख करने का निदेश हुआ है।

2. इस संबंध में, यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि 01.01.2007 से केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के वेतनमानों के आईडीए पैटर्न का पालन करते हुए कार्यकारी अधिकारियों अथवा गैर–यूनियनकृत पर्यवेक्षकों के दिनांक 26.11.2008 और 02.04.2009 अथवा 2007 के वेतन संशोधन में अन्य बातों के साथ–साथ केवल निम्नलिखित 4 भत्तों को अनुलाभ राशि और भत्तों की 50 प्रतिशत अधिकतम सीमा के दायरे से बाहर रखे जाने का प्रावधान हैः

(i) पूर्वोत्तर भत्ता मूल वेतन के 12.5 प्रतिशत तक सीमित है।

(ii) भूमिगत खदानों के लिए भत्ता 15 प्रतिशत तक सीमित है।

(iii) संबंधित मंत्रालयों द्वारा समय–समय पर लोक उद्यम विभाग के परामर्श से कठिन और दूर–दराज के क्षेत्रों में सेवारत कर्मचारियों के लिए मूल वेतन के 10 प्रतिशत तक विशेष भत्ता अनुमोदित किया गया है।

(iv) चिकित्सा अधिकारियों के लिए नॉन–प्रेक्टिसिंग भत्ता मूल वेतन के 25 प्रतिशत तक सीमित है।

ये कार्यालय ज्ञापन मंत्रिमंडल के अनुमोदन से जारी किए गए हैं।

3. यह भी कि सूचित किया जाता है कि लोक उद्यम विभाग के दिनांक 26.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन में दूसरी वेतन संशोधन समिति की सिफारिशों के संबंध में सरकार की निर्णय के कार्यान्वयन में जो अन्य मुद्दे/समस्याएं उठ सकते/सकती हैं, उनकी जांच पडताल करने के लिए लोक उद्यम विभाग, व्यय विभाग और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग सचिवालय की 'एनोमिलिज कमेटी' का भी प्रावधान है।

4. अतः मुख्य आयुक्त द्वारा उनके दिनांक 2.01.2012 के आदेश में आदेशित मुद्दे को एनोमिलिज कमेटी को उनके विचारार्थ भेजने का निर्णय लिया गया है। समिति की बैठक 17.05.2012 को आयोजित की जानी अपेक्षित थी, हालांकि कुछ सदस्यों के अचानक किसी काम में अप्रत्याशित तौर पर वयस्त होने की वजह से इसका आयोजन नहीं किया जा सका। एनोमिलिज कमेटी की बैठक अब 30.5.2012 को आयोजित की जानी है। चूंकि एनोमिलिज कमेटी को समिति अपनी सिफारिशें देने में कुछ समय लग सकता है, और उसके बाद सरकार को भी समिति की सिफारिशों पर निर्णय लेने में कुछ समय लग सकता है, आवश्यक होगा यदि मुख्य आयुक्त के दिनांक 22.01.2012 के आदेश के कार्यान्वयन पर विचार करने के लिए 90 दिनों की विहित समयसीमा को कम से कम 60 दिन ओर बढा दिया जाए। इसके लिए मंत्रिमंडल के अनुमोदन से लोक उद्यम विभाग के दिनांक 26.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन में संशोधन करने की जरूरत होगी और इसीलिए, इसे अनुमोदनार्थ मंत्रिमंडल के पास भेजा जाए।

5. बीएचईएल के संबंध में प्रशासनिक विभाग होने के नाते डीएचआई से अनुरोध किया जाता है कि वह विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त के आदेश के कार्यान्वयन पर विचार करने के लिए कम से कम 60 और दिन की मांग करे।

(डीपीई का. ज्ञा. सं. 2(42)/10–डीपीई(डब्ल्यूसी), दिनांक 24 मई, 2012)

*****